न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 57 / 2011 (उदयपुर डिक्री)

1. श्री धर्मा पिता केवला जी भील निवासी बोरावखेड़ा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
2. श्री वरदा पिता केवला जी भील निवासी बोरावखेड़ा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
3. श्री जगना पिता श्री केवला जी भील निवासी बोरावखेड़ा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
4. श्री नारायण पिता श्री केवला जी भील निवासी बोरावखेड़ा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
5. श्री देवा पिता पन्ना जी भील निवासी बोरावखेड़ा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
6. श्री अजीत पिता धर्मा भील निवासी बोरावखेड़ा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)

..... अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री खेमा पिता धन्ना जी भील निवासी बोरावखेड़ा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
2. श्री हीरा पिता पन्ना जी भील निवासी बोरावखेड़ा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड
अधिकारी गिर्वा दिनांक 31–01–2011
प्रकरण सं0 145 / 2006 वाद

———

उपस्थित :–1–श्री लोकेश जैन अभिभाषक अपीलान्ट्स
2–श्री चन्द्र प्रकाश पुरोहित अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट–1

निर्णय दिनांक 25–01–2018

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 वादी द्वारा प्रतिवादी अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या–2 के विरूद्ध धारा–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन किया कि वादपत्र की कलम संख्या–1 वर्णित ग्राम बोरावखेड़ा की आराजीयात किता–3 रकबा 1.08 हैक्टर भूमि का वादी खातेदार काश्तकार होकर भूमि पर काबिज है तथा काश्त कर रखी है। प्रतिवादी बेज़ा दखलन्दाजी करते है तथा कब्जा करना चाहते है। अतएव उन्हें स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करें तथा दौराने दावा यदि कब्जा कर लिया जाय, तो आज्ञापक आदेश से बेदखली की जाये।

प्रतिवादीगण सिवाय प्रतिवादी संख्या–6 के अलावा खण्डन का जवाबदावा पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण के पूर्वज केवला जी के समय से प्रतिवादीगण इस भूमि पर काबिज होकर मौके पर कोट बना रखी है तथा मौके पर वे ही काबिज है। अतएव स्थाई निषेधाज्ञा नहीं दी जाय तथा काउण्टर क्लेम पेश कर यह भी निवेदन किया कि उनका 50 वर्षो का कब्जा होने के कारण उन्हें खातेदार घोाषित कर स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलवाई जाय।

वादीगण द्वारा खण्डन का काउण्टर क्लेम का जवाब पेश किया। अधिनिस्थ न्यायालय द्वारा प्लीडिंग्स के आधार पर निम्नानुसार तनकीयात कामय की गई :–

1. **आया खसरा नंबर 440 रकबा 0.0450, खसरा नंबर 441 रकबा 0.6000 हैक्टर, खसरा नंबर 883/442 रकबा 0.4350 हैक्टर भूमि का वादी खातेदार काश्तकार हे व वे ही भूमि का उपयोग उपभोग कर रहा है? ..... वादी**
2. **आया प्रतिवादीगा वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करना चाहते है व कब्जा करने की गरज के प्रतिवादी ने पत्थर डाल दिये है ? .....वादी**
3. **आया वादग्रस्त भूमि वादी को गलत आवंटन हो गई है? ..... प्रतिवादी**

उभयपक्ष के द्वारा पेश शुदा साक्ष्य सबूतों के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद दिनांक 31–1–2011 को डिक्री कर दिया

जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट प्रतिवादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 25–4–2011 को पेश की।

अपील के साथ दफा–5 जाब्ता मयाद का आवेदन पेश एवं शपथ पत्र पेश किया। न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 की और से अधिवक्ता श्री चन्द्रप्रकाश पेरोहित ने उपस्थिति दी। रेस्पोन्डेन्ट संख्या–2 के विरूद्ध कार्यवाही दिनांक 11–9–2017 को ड्रोप की गई।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में लिखित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार करने की प्रार्थना की। वहीं रेस्पोन्डेन्ट अधिवक्ता ने अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय सही होना बताकर अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि भूमि पर वादी का कब्जा नहीं होकर अपीलान्ट का ही कब्जा था, जिसकी मौखिक साक्ष्य भी उसके द्वारा पेश की गई। अपीलान्ट की साक्ष्य अधिक विश्वसनीय है। अपीलान्ट का प्रतिदावा भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर भूल की है।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि यह स्वीकृत स्थिति है कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 रेकार्डेड खातेदार दर्ज है तथा अपीलान्ट विवादित भूमि पर 50 वर्षो से अपना कब्जा होना जाहिर कर खातेदारी घोषणा चाहता है। कब्जे अथवा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषणा किये जाने बाबत् राजस्थान काश्तकारी कानून में कोई प्रावधान नहीं है। अतएव अपीलान्ट का घोषणात्मक काउण्टर क्लेम स्वीकार नहीं करने में अधिनस्थ न्यायालय ने कोई त्रुटि नहीं की है।

प्रकरण में जहां तक रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 रेकार्डेड खातेदार का कब्जा नहीं माना जाकर अपीलान्ट प्रतिवादी की मौखिक साक्ष्य के आधार पर उसका कब्जा माने जाने की कोई प्रभावी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

तद्नुसार रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 वादी का कब्जा नहीं माने जाने का कोई प्रभावी आधार नहीं है एवं तद्नुसार वादी रेस्पोन्डेनट के पक्ष में खातेदार व कब्जेधारी होने के कारण स्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने को हम त्रुटिपूर्ण नहीं मानते।

उपरोक्त समग्र विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहूंचे है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 का स्थाई निषेधाज्ञा का वाद डिक्री किये जाने में तथा अपीलान्ट प्रतिवादी का काउण्टर क्लेम खारित किये जाने में किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं की है।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 31–1–2011 यथावत रखी जाती है। पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 25–01–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ. .....मुकाम ..... उदयपुर व इजलास ..... एल.एन. मंत्री आर.ए.एस. .....

1–श्री धर्मा पिता केवला जी भील
निवासी बोरावखेड़ा तहसील गिर्वा
जिला उदयुपर व अन्य–5

बनाम

1– **श्री खेमा पिता धन्ना जी भील**
निवासी बोरावखेड़ा तहसील
गिर्वा जिला उदयपुर व अन्य–1

अपील नं0 **57/2011** बनाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी** .. ..**गिर्वा** .....मुकाम मुक्र्खे.....**31**.....माह.....**01**.....**2011**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख .....**25**..... माह .....**01**..... सन् .....**2018** .....रूबरू .....पक्षकारान व हाजरी .....**श्री लोकेश जैन** ..... मिनजानिब अपीलान्ट व . .....**श्री चन्द्रप्रकाश पुरोहित** ..... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 31–1–2011 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X ..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख .....**25**..... माह .....**01**..... **2018** को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ....स्टाम्प वकालत नामा.... 2. इजराय हुक्मनामा ..... 3. वकील फीस बाबत ..... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा हर्जा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।